प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5922/2010

याचिकाकर्ता: जयंत कुमार देवांगन

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय एवं आदेश की उद्घोषणा हेतु वाद को 20 अप्रैल, 2011 को सूचीबद्ध किया जाए।

हस्ताक्षरित

सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5922 / 2010

याचिकाकर्ता

जयंत कुमार देवांगन

बनाम

उत्तरवादीगण :

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थिति :

श्री पी.एस. कोशी, अधिवक्ता – याचिकाकर्ता की ओर से

श्री सुशील दुबे, सरकारी अधिवक्ता – राज्य/ उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से

श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता – उत्तरवादी क्रमांक 3 से 15 की ओर से

(दिनांक 20 अप्रैल, 2011 को निर्णय पारित)

1. प्रस्तुत याचिका में, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादीगण की उस कार्यवाही को विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण अवधारित करने हेतु निर्देश चाहा है, जिसमें याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्रमांक 1 की सेवा में शामिल होने की तिथि से वरिष्ठता प्रदान नहीं की गई है। आगे, याचिकाकर्ता ने इस कार्यवाही को भी विधि की दृष्टि मे दोषपूर्ण एवं मनमाना बताया है कि जिन व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति याचिकाकर्ता के पश्चात् हुई, उन्हें सहायक संचालक के पद पर याचिकाकर्ता से पहले वरिष्ठता प्रदान कर दी गई। अंततः, यह भी प्रार्थना की गयी है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाए जाने से पूर्व, उत्तरवादी प्राधिकारी याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार कर निर्णय लें। इसके अतिरिक्त, दिनांक 04.11.2010 (अनुलग्नक पी/14) के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का दिनांक 04.03.2010 का अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, प्रारंभ में याचिकाकर्ता को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग में दिनांक 07.11.1997 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) के माध्यम से सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। विभाग द्वारा 07.11.1997 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) के माध्यम से

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के उपरांत, याचिकाकर्ता ने 05.09.2001 को छत्तीसगढ़ राज्य में सहायक संचालक के पद हेतु आवेदन किया (अनुलग्नक पी/2)। इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा भी दिनांक 29.09.2003 के पत्र के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया (अनुलग्नक पी/ 3)। याचिकाकर्ता को दिनांक 07.02.2004 को प्रतिनियुक्ति पर सेवा में लिया गया (अनुलग्नक पी / 4)। इसके उपरांत, याचिकाकर्ता ने दिनांक 06.05.2004 को अपने आवेदन के माध्यम से उत्तरावादी क्रमांक 1 को अपनी सेवाओं के संविलियन किए जाने का अनुरोध किया (अनुलग्नक पी/5) फलस्वरूप, याचिकाकर्ता की सेवा संविलियन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी दिनांक 28.06.2004 के पत्र से स्पष्ट है (अनुलग्नक पी/6)। भारत सरकार द्वारा भी सहायक संचालक के पद पर याचिकाकर्ता के संविलियन के संबंध में दिनांक 30.09.2004 के पत्र द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया (अनुलग्नक पी/7)। अंततः, प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा दिनांक 25.06.2007 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता की सेवाओं का संविलियन किया गया (अनुलग्नक पी/8)।सहायक संचालकों की दिनांक 01.04.2008 की स्थिति में जारी वरिष्ठता सूची के अवलोकन से यह पाया गया कि याचिकाकर्ता का नाम सरल क्रमांक 27 पर अंकित था। इस पर याचिकाकर्ता ने दिनांक 04.03.2010 को छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया (अनुलग्नक पी/10)। कि उसने प्रत्यर्थी क्रमांक-1 की सेवा में दिनांक 19.02.2004 को कार्यभार ग्रहण किया था, और उसके अनुसार उसका नाम उपयुक्त स्थान पर रखा जाए । इसके पश्चात दिनांक 03.09.2010 को एक अन्य क्रमसूची प्रकाशित की गई (अनुलग्नक पी /11), जिसमें दिनांक 01.04.2009 की स्थिति में वरिष्ठता दर्शाई गई, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम सरल क्रमांक 24 पर रखा गया। वरिष्ठता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की स्थिति में प्रत्यर्थी अधिकारियों द्वारा आपत्तियां मंगाई गईं, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.09.2010 को तुरंत एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (अनुलग्नक पी/12)। तथापि, दिनांक 04.03.2010 को प्रस्तुत अभ्यावेदन पर 04.11.2010 को निर्णय लिया गया, जिसे बाद में इस याचिका में संशोधन के माध्यम से चुनौती दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कोशी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्रमांक-1 की सेवाओं में जिस दिन उसने कार्यभार ग्रहण किया, उसी दिनांक से उसे वरिष्ठता प्रदान की जानी चाहिए थी, जो कि मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 (संक्षेप में "नियम, 1961") के नियम 12(2)(ग) के अनुरूप है। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 27.03.2001 के ज्ञापन (अनुलग्नक पी/13) के माध्यम से भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों एवं

विभागों, राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के अधीन संघ राज्य क्षेत्रों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि किसी कर्मचारी को उस तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जाएगी, जिस तिथि से वह प्रतिनियुक्ति पर उक्त पद धारण कर रहा हो अथवा जिस तिथि से उसे उसके मूल विभाग में उसी या समकक्ष पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया हो—इन दोनों में से जो भी तिथि पश्चातवर्ती हो। श्री कोशी ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरावादी अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को उत्तरावादी क्रमांक-1 की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता प्रदान न करना मनमाना, भेदभावपूर्ण तथा अवैधानिक है, क्योंकि इससे याचिकाकर्ता की पदोन्नति के अवसर प्रभावित होंगे। चूँकि उत्तरावादी क्रमांक-1 द्वारा उप संचालक के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) आयोजित किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है, अतः याचिकाकर्ता जो उक्त पद पर पदोन्नति हेतु फीडर पद पर है, तथा वरिष्ठता सूची में याचिककर्ता के स्थान मे संशोधन के संबंध मे प्रस्तुत किए गए उनके अभ्यावेदनों पर विचार न किए जाने के कारण, याचिककर्ता पदोन्नति से वंचित हो जाएगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, राज्य / उत्तरावादी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से प्रस्तुत श्री दुबे ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का दिनांक 04.03.2010 का अभ्यावेदन राज्य शासन द्वारा दिनांक 04.11.2010 (अनुलग्नक पी /1) को इस आधार पर अस्वीकार

कर दिया गया कि उसकी वरिष्ठता नियम, 1961 के नियम 12(2)(ख) के अनुसार निर्धारित की गई है।उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि केन्द्र सरकार से राज्य सरकार में सेवाओं के संविलियन के संबंध में कोई नियम अस्तित्व में नहीं है। याचिकाकर्ता ने स्वयं प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान ही राज्य शासन से अपने संविलियन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। उत्तरवादी क्रमांक 1 ने याचिकाकर्ता के मामले को विशेष मामला मानते हुए, उसे उस पद पर संविलियन किया, जो सीधे भर्ती के लिए आरक्षित था। अतः, याचिकाकर्ता को सीधी नियुक्ति के समान मानते हुए, उसकी वरिष्ठता उसकी संविलियन तिथि से गणना की गई।श्री दुबे ने यह भी तर्क किया कि याचिकाकर्ता की ओर से याचिका अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता दिनांक 01.04.2008 की वरिष्ठता सूची से पूर्णतः अवगत था, परंतु उसने अभ्यावेदन दिनांक 04.03.2010 को प्रस्तुत किया, जबकि उसे एक माह की अवधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. प्रत्यर्थी क्रमांक 3 से 15 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शर्मा,ने भी यह तर्क प्रस्तुत किया कि यह याचिका विलंब एवं देरी से ग्रस्त है और केवल इसी आधार पर स्थगित किए जाने योग्य है। याचिकाकर्ता को प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति पर एक वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 07.02.2004 के आदेश (अनुलग्नक पी/4) द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसमें यह नियुक्ति आदेश में ही यह उल्लेखित था कि

नियुक्ति की अवधि आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है, तथा एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के बदले एक माह का वेतन देकर किसी भी समय उसकी प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकती है। याचिकाकर्ता प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होने के कारण अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक ही उत्तरवादी क्रमांक 1 के यहां कार्यरत रह सकता था तथा उसकी नियुक्ति नियमित आधार पर नहीं थी ,अतः वह नियम, 1961 के प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता।यहाँ तक कि संविलियन के आदेश में भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि— याचिकाकर्ता को नव नियुक्त कर्मचारी माना जाएगा तथा उसकी वरिष्ठता भी संविलियन की तिथि से ही निर्धारित की जाएगी। याचिकाकर्ता ने स्वयं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए, तथा तत्पश्चात अपनी सेवाओं के संविलियन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, अतः किसी भी स्थिति में प्रतिनियुक्ति की अवधि को वरिष्ठता प्रदान करने के उद्देश्य से नहीं जोड़ा जा सकता। श्री शर्मा ने आगे यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपने मूल विभाग से त्यागपत्र भी दे दिया था, तत्पश्चात उसकी सेवाएँ उत्तरवादी राज्य द्वारा ग्रहण की गईं। केन्द्र सरकार से राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण के माध्यम से किसी व्यक्ति को संविलियन द्वारा भर्ती करने की अनुमति देने वाले कोई नियम अस्तित्व में नहीं हैं।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना गया, तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत याचिकाएँ एवं उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

7. याचिकाकर्ता को भारत सरकार, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 07.01.1997 को सहायक निदेशक हिन्दी (टाइपिंग/स्टेनो) के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। भारत सरकार के साथ कार्यरत रहते हुए, दिनांक 05.09.2001 (अनुलग्नक पी /2) को याचिकाकर्ता ने आवेदन प्रस्तुत किया कि उसे जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन में सहायक संचालक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु विचार करने हेतु अनुरोध किया जाये ।भारत सरकार ने दिनांक 29.09.2003 (अनुलग्नक पी /3) के पत्र द्वारा यह लिखित रूप से सूचित किया कि यदि उत्तरवादी क्रमांक 1 याचिकाकर्ता की सेवाएँ सहायक संचालक के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेना चाहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।इसके फलस्वरूप, दिनांक 07.02.2004 (अनुलग्नक पी /4) के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को निदेशक, जनसंपर्क कार्यालय में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर सहायक संचालक के पद पर नियुक्त किया गया। उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित था कि याचिकाकर्ता की प्रतिनियुक्ति को किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर अथवा नोटिस के बदले एक माह के वेतन का भुगतान कर समाप्त किया जा सकता है तथा याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को उसके मूल विभाग में वापस प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।इसके बाद, याचिकाकर्ता ने दिनांक 06.05.2004 (अनुलग्नक पी /5) को उत्तरवादी क्रमांक 1 को आवेदन प्रस्तुत किया कि उसकी सेवाओं को सहायक संचालक के पद पर संविलियन किया जाए। उत्तरवादी क्रमांक 1 ने दिनांक 25.06.2007 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं को सहायक संचालक के पद पर संविलियन कर लिया, इस शर्त पर कि—

1. संविलियन का प्रभाव उस तिथि से होगा, जिस दिन संविलियन का आदेश जारी किया गया है;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. यदि याचिकाकर्ता ने संविलियन आदेश की तिथि से पूर्व अपने मूल विभाग से त्यागपत्र नहीं दिया है, तो संविलियन की प्रभावी तिथि वह होगी, जिस दिन भारत सरकार द्वारा याचिकाकर्ता का त्यागपत्र स्वीकार किया जाएगा;

3. याचिकाकर्ता को नवीन नियुक्ति के रूप में माना जाएगा तथा उसे उसकी वरिष्ठता केवल संविलियन की तिथि से ही प्राप्त होगी।

संविलियन आदेश पारित किए जाने से पूर्व, भारत सरकार ने अपने संप्रेषण द्वारा एक पत्र के माध्यम से यह अनापत्ति प्रदान की गई कि याचिकाकर्ता को राज्य शासन की सेवा में संविलियन किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।दिनांक 10.09.2004 (अनुलग्नक पी /7) नहीं है। अतः याचिकाकर्ता की नियुक्ति, भारत

सरकार की सेवा से उनके त्यागपत्र के पश्चात, एक नवीन नियुक्ति थी, जिसमें यह विशिष्ट शर्त थी कि उनकी वरिष्ठता सहायक संचालक के पद पर संविलियन /नियुक्ति की तिथि से ही गणना की जाएगी।

8.याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री कोशी ने नियम 1961 के नियम 12 (2) (ग)का अवलंबन लिया हैं। नियम, 1961 के नियम 12(2)(ग) का उद्धरण संदर्भ हेतु निम्नानुसार है:

"12. वरिष्ठता –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किसी सेवा के सदस्य अथवा सेवा की किसी पृथक शाखा या पदों के समूह की वरिष्ठता निम्नलिखित

सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित की जाएगी: अर्थात—

(2) स्थानांतरित व्यक्तियों की वरिष्ठता—

(अ) **XXX XXX XXX**

(ब) **XXX XXX XXX**

(स) ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया हो तथा बाद में समायोजित कर लिया गया हो (अर्थात जहाँ संबंधित भर्ती नियमों में "प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा स्थानांतरण" का प्रावधान हो), उसकी वरिष्ठता उस

श्रेणी में, जिसमें उसे समायोजित किया गया है, सामान्यत: समायोजन की तिथि से ही मानी जाएगी।परन्तु यदि समायोजन की तिथि पर वह अपने मूल विभाग में उसी या समकक्ष श्रेणी का पद नियमित आधार पर धारण कर रहा था, तो उस नियमित सेवा को भी वरिष्ठता निर्धारण में शामिल किया जाएगा, इस शर्त के साथ कि—

उसको वरिष्ठता उस तिथि से दी जाएगी, जिस दिन से उसने—

उस पद को प्रतिनियुक्ति पर धारण किया है, या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपने वर्तमान विभाग में उसी अथवा समकक्ष पद पर नियमित नियुक्ति प्राप्त की है, इन दोनों में से जो भी बाद की तिथि हो।

स्पष्टीकरण

उपर्युक्त नियम के अनुसार स्थानांतरित कर्मचारी की वरिष्ठता का निर्धारण, समायोजन से पूर्व किए गए किसी भी नियमित पदोन्नति को प्रभावित नहीं करेगा। अर्थात, यह नियम केवल समायोजन के पश्चात उत्पन्न रिक्तियों को भरते समय ही लागू होगा।"ऐसे समायोजन के पश्चात उच्चतर श्रेणी में होने वाली पदोन्नति पर लागू होगा।“

9. नियमावली 1961 नियम 12 में वरिष्ठता से संबंधित है।नियमावली 1961 नियम 12 का उप-नियम (2) स्थानांतरण के स्थिति में वरिष्ठता से संबंधित है। नियम 12 उप-नियम (2) के खंड (स) में उन व्यक्तियों के प्रकरण से संबंधित है जिन्हें पहले प्रतिनियुक्ति पर लिया गया हो और बाद में संविलियन किया गया हो। इसमें यह प्रावधान है कि ऐसे मामलों में, संबंधित श्रेणी में वरिष्ठता सामान्यतः संविलियन की तिथि से गणना की जाएगी।यदि कर्मचारी अपने मूल विभाग में उसी या समकक्ष श्रेणी के पद पर नियमित रूप से कार्यरत रहा है, तो उस नियमित सेवा को भी वरिष्ठता निर्धारण में जोड़ा जाएगा — इस शर्त के साथ कि उसकी वरिष्ठता—जिस तिथि से उसने प्रतिनियुक्ति पर संबंधित पद धारण किया है, या जिस तिथि से उसे वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष श्रेणी के पद पर नियमित नियुक्ति मिली,जो भी तिथि बाद की हो, उससे देय मानी जाएगी।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10.उपर्युक्त प्रावधान उन व्यक्तियों पर ही लागू होता है जिन्हें प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया हो तथा बाद में संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार—जो प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा स्थानांतरण का प्रावधान रखते हैं—संविलियन किया गया हो। यह प्रावधान वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता क्योंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति नियमों के अनुरूप नहीं की गई है।

11. मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ लोक संबंध (राजपत्रित सेवा) भर्ती नियम, 1966 (संक्षेप में 'नियम, 1966') में सहायक संचालक पद पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, क्योंकि सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग का पद श्रेणी-II का पद है।नियम 1966 के नियम 6 में भर्ती की पद्धति का प्रावधान किया गया हैं।इसमें तीन पद्धतियाँ

सेवा में भर्ती की तीन पद्धतियाँ है—

पहला, चयन द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती

दूसरा, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, और

तीसरा, अन्य सेवा से किसी व्यक्ति का अस्थायी स्थानांतरण ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियम,1966 के नियम 6 का उप-नियम (4) यह प्रावधान करता है कि यदि सरकार की राय में सेवा की परिस्थितियाँ इसकी मांग करती हैं, तो सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति प्राप्त करने के पश्चात सरकार आदेश जारी करके, नियम में निर्दिष्ट पद्धतियो के अतिरिक्त अन्य पद्धतियाँ से भी भर्ती कर सकती है। नियम,1966 नियम 6 के अंतर्गत अनुसूची-II.अर्थात् भर्ती की विधि में यह उल्लेख है कि सहायक संचालक के पद पर 50% नियुक्ति प्रत्यक्ष भर्ती से तथा 50% पदोन्नति से होगी। नियम 6(1)(स) के अंतर्गत अन्य सेवा से अस्थायी स्थानांतरण द्वारा भर्ती का कोई प्रावधान सहायक संचालक के लिए नहीं किया गया है। अस्थायी

स्थानांतरण द्वारा भर्ती का प्रावधान केवल निदेशक, जनसम्पर्क तथा लेखा अधिकारी के लिए लागू है, न कि सहायक संचालक के लिए।

अतः सहायक संचालक के पद पर भर्ती के लिए केवल दो पद्धतियाँ उपलब्ध हैं—

(1) प्रत्यक्ष भर्ती

(2) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भर्ती।

याचिकाकर्ता की नियुक्ति न तो प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा हुई और न ही पदोन्नति द्वारा। यह नियुक्ति नियम 6(4) के अंतर्गत भी नहीं आती क्योंकि यह दर्शाने हेतु कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति सेवा की अत्यावश्यकता के कारण की गई थी। अतः याचिकाकर्ता की नियुक्ति नियमों के अनुसार की गई नियुक्ति नहीं मानी जा सकती, और इस कारण नियम 12 (2) (ग), नियमावली 1961 के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यह एक स्थापित विधि सिद्धांत है कि यदि किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति सेवा-शर्तों द्वारा विनियमित नहीं है, तो वह उसकी नियुक्ति की शर्तों द्वारा संचालित होगी। याचिकाकर्ता के नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि उसकी वरिष्ठता को संविलियन की तिथि से गिना जाएगा, तथा उसे संवर्ग में नवीन भर्ती माना जाएगा।यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह पूर्व सेवा की निरंतरता है, क्योंकि आदेश के प्रथम भाग में यह स्पष्ट है कि संविलियन का आदेश तभी प्रभावी

होगा जब याचिकाकर्ता भारत सरकार की सेवा से त्यागपत्र दे चुका हो तथा उसका त्यागपत्र स्वीकृत हो; और ऐसी स्थिति में वरिष्ठता संविलियन की तिथि या त्यागपत्र स्वीकृति की तिथि से ही मानी जाएगी। अतः, दिनांक 14.11.2010 (उपबंध पी/14) का आक्षेपित आदेश किसी भी प्रकार की अवैधता या अनियमितता से ग्रस्त नहीं है, जिससे हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो।

13. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने अपनी नियुक्ति के समय नियुक्ति की शर्तों को कभी चुनौती नहीं दी थी । ऐसी स्थिति में, माननीय उच्चतम न्यायालय मध्य प्रदेश टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम महेंद्र एवं अन्य में निम्नलिखित निर्णय दिया है—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"5. हमारा मत है कि जिन प्रतिवादी श्रमिकों ने ऐसे अनुबंध के अंतर्गत अपनी नियुक्ति स्वीकार की, जिसमें प्रत्येक श्रमिक का वेतनमान स्पष्ट रूप से निर्धारित था, वे इंदौर टेक्सटाइल, उज्जैन द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त किए जाने के पश्चात अपीलकर्ता निगम के वेतनमान का दावा नहीं कर सकते। हमारे विचार में, चूँकि प्रतिवादियों ने वेतनमान स्वीकार किया और एक दशक से अधिक समय तक उसे चुनौती नहीं दी, इसलिए वे समान स्थिति वाले अन्य श्रमिकों को उपलब्ध वेतनमान की मांग करने के अधिकारी नहीं हैं। इस सीमा तक हमारा मत है कि श्रम न्यायालय से त्रुटि हुई है।"

14. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलंबित सब इंस्पेक्टर रूपलाल एवं अन्य बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर थ्रू चीफ (2005) 10 उच्चतम न्यायालय 675 सचिव, दिल्ली और अन्य बनाम अरुण कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य बनाम डी.पी. सिंह, इस मामले के तथ्यों से संबंधित नहीं हैं क्योंकि याचिकाकर्ता को मूल विभाग में इस्तीफा देने के बाद नए सिरे से नियुक्ति के रूप में पद पर संविलियन किया गया था ।

15. इसी प्रकार के. अंजैया और अन्य बनाम के. चंद्रैया और अन्य तथा देवदत्ता और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के मामले भी इस मामले के तथ्यों से संबंधित नहीं हैं, क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जहां याचिकाकर्ता भारत सरकार में अपनी सेवा के आधार पर वरिष्ठता का दावा कर रहा है, बल्कि प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर सहायक निदेशक के पद पर रहने की तिथि से वरिष्ठता का दावा कर रहा है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विधि के प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर संविलियन के आधार पर किसी भी भर्ती/नियुक्ति का प्रावधान नहीं करते हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित किसी भी लाभ का अधिकारी नहीं है। वर्तमान वाद के तथ्य पूरी तरह से भिन्न हैं और उनमें कोई समानता नहीं है तथा निर्धारित विधि का सिद्धांत भी इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16.उपरोक्त कारणों से, याचिका निराधार है अतः याचिका खारिज की जाती है।

17. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया।

सही
(सतीश के. अग्निहोत्री)
न्यायाधीश

संदर्भ निर्णय:

(2000) 1 सु.को. 644

(2007) 5 सु.को. 580

(2010) 1 सु.को. 647

(1998) 3 सु.को. 218

1991 अनुपूरक (2) सु.को. 553

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Ms Mamta Gupta Adv